



NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 72 /NCRES/19

Date : 28.02.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय:- नये यूनिफाईड MOU के अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के मरीजों को अन्य रेलवे से सम्बद्ध प्राइवेट हास्पिटलों में रिफर करना।

सन्दर्भ:- रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/H-1/11/69/Hospital Recognition दिनांक 23.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के सन्दर्भित पत्र दिनांक 23.12.2016 के अनुसार भारतीय रेल के समस्त कार्यरत एवं रिटायर्ड रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को इमरजेन्सी में इलाज के लिये पूरे भारतवर्ष में किसी भी जोनल रेलवे से सम्बद्ध प्राइवेट हास्पिटल में रिफर किया जा सकता है लेकिन इसके लिये रेलवे बोर्ड से जारी नये यूनिफाईड MOU के अनुसार सम्बन्धित जोनल रेलवे को प्राइवेट हास्पिटलों से अनुबन्ध करना है।

NCRES को अवगत कराना है कि नार्दन रेलवे ने दिनांक 19.09.2017 को दिल्ली NCR में 8 प्राइवेट हास्पिटलों से नये यूनिफाईड MOU के तहत रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 23.12.2016 के अनुपालन में अनुबन्ध किया है, जिसमें नार्थ सेन्ट्रल रेलवे सहित भारतीय रेल के समस्त जोनों के रेल कर्मचारी एवं उनके परिवारों को इन प्राइवेट हास्पिटलों में M/S VTIITSL द्वारा बतायी गयी वेबसाइट द्वारा रिफर किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि नये यूनीफाईड MOU के तहत अन्य जोनल रेलवे से सम्बद्ध प्राइवेट हास्पिटलों में नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के रिटायर्ड एवं कार्यरत कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को इमरजेन्सी में रिफर किये जाने के लिये बनाई गई प्रक्रिया से NCRES को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि कर्मचारियों को इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

माँ ५०.११९
(आर. पी. सिंह)
महामंत्री